



भ्रष्टाचार विरुद्ध

रजि. ऑफिस: 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना, पंजाब-141007

www.bvbja.com

जागृति अभियान
रजि. नं. : 20150018562/96/2015

फोन : 99209-13897

मुख्य कार्यालय: 001 मारिया अपार्टमेंट, ग्राऊंड फ्लोर, प्लॉट नं. E-78/3, सेक्टर 9, ऐरोली, नवी मुंबई - 400 708.

संदर्भ क्र. : BVBJA/LTR/1617245/20170803_SAT01

दिनांक : 03.08.2017

सेवा में,

श्री. बी.पी. सिंह गिल
एडवोकेट (पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट)
चैम्बर नं. 207/G661, न्यू कोर्ट्स,
लॉयर्स कॉम्प्लेक्स, लुधियाना, पंजाब



विषय: आपसी समाधान हेतु प्रस्ताव देने के लिये आभार साथ ही उचित निष्कर्ष पर पहुँच कर सच्चाई सामने लाने के लिये कुछ प्रस्ताव

संदर्भ: दिनांक 21.07.2017 का लीगल नोटिस

महोदय,

आपका पत्र मिला जान कर खुशी हुई कि, आप भी आपसी समाधान के जरिये मामलों को सुलझाने व पीड़ित को इंसाफ दिलाने में यकीन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में व्याप्त करोड़ों मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुये हर अदालतों स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि लोक अदालतों के जरिये मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने की व्यवस्था करते हुये मुकदमों की संख्या में कमी की जाये और पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाये। हमारा संगठन भी उसी दिशा में प्रयासरत रहता है और अपराध को खत्म करने पर अधिक जोर देता है व इसके लिये ऐसी व्यवस्था करता है कि, जिससे कोई भी व्यक्ति अपराध करने के बारे में सोचे ही नहीं जैसे यह कुछ मामले देखें:

- आपके ही शहर लुधियाना में कुछ बदमाशों ने तोड़-फोड़ की थी, जब हमारी तरफ से मामला उठाया गया और उनकी तरफ से जब माफीनामे के रूप में स्टैम्प पेपर पर शपथपत्र मिला तो संगठन द्वारा मामले को खत्म किया गया जिससे अपराध पर कुछ हद तक लगाम लगी।
- इसी प्रकार आपके ही शहर में ससुर द्वारा बहु को अपंग बनाया गया तो माफीनामा व बहु की हिस्सेदारी के साथ मामले को खत्म किया गया जिससे पूरा परिवार किसी भी आपराधिक भूमिका को अंजाम दिये बिना सुखशांती से रह सकें और बहु का भविष्य सुरक्षित रहे।

इस पत्र की वैधता जानने हेतु संगठन की वेबसाईट देखें, अगर वहाँ इस पत्र की कॉपी मौजूद नहीं है तो यह पत्र वैध नहीं माना जायेगा।

- iii. गोरखपुर, उ.प्र. के एक मामले में बेटे की चाह में 4-4 बेटी को जन्म देनेवाली बहु को लगातार प्रताड़ित रखते हुये 19 वर्ष बाद मारपीट कर घर से निकाल दिया गया उसमें पति को सजा देने की अपेक्षा सुलहनामा करवाते हुये मामला खत्म किया गया और आज दोनों बेहतर जिन्दगी जी रहे हैं।

कभी-कभी मामले पुलिस में या संबंधित विभागों में देने के बाद भी आरोपी संबंधित भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे खिलाकर मामले को दबाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में यह समझ में आ जाता है कि, आरोपियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के बीच भरपूर भ्रष्टाचार फलफूल रहा है।

तब संगठन शहीद भगत सिंह की तर्ज पर बिना जन-हानि किये 'कलम रूपी बम' फोड़ने का काम करता है और Whistle बजाते हुये पर्चियाँ बाँटता है साथ ही सोशल मीडिया व अन्य साधनों के जरिये मामले को Highlight करते हुये सोये हुये भ्रष्ट अधिकारियों व ईमानदार अधिकारियों की नींद खुलवाने का कार्य करता है और पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम आप उदाहरणों के रूप में देख सकते हैं:

- i. पहला आपके ही शहर लुधियाना में कमल बस्सी जैसे भू-माफिया व उसके गिरोह ने एक हजार करोड़ रुपये के रिबैन्डू स्टैम्प की चोरी की, मगर F.I.R. दर्ज ना किये जाने के बाद संगठन द्वारा पर्चियाँ बाँटी गई और पूरे सोशल मीडिया व अन्य साधनों के द्वारा मामले को उठाया गया। परिणाम, मुंबई में रहते हुये आपके शहर लुधियाना के इस भू-माफिया के खिलाफ मेरी तरफ से F.I.R. दर्ज हुई (सभी पर्चियाँ व F.I.R. साथ में संलग्न है)।
- ii. नासिक में एक रिक्शा ड्रायवर के बेटे की हत्या होने के बाद भी F.I.R. ना दर्ज करने पर वहाँ के कमिश्नर के फोटो के साथ पर्चियाँ बाँटी गई और सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से मामला उठाया गया परिणाम 302 के तहत F.I.R. दर्ज हुई।
- iii. मुंबई में सोसायटी के कार्यालय से दस्तावेज़ चोरी करके पेपर बदलने के मामले में पर्चियाँ बाँटी गई व मामला उठाया गया परिणाम 420 व अन्य धाराओं के तहत F.I.R. दर्ज करवाई गई।
इसी प्रकार से कई अन्य मामले हैं जिसमें पर्चियाँ बाँटने के बाद F.I.R. दर्ज हुई और पीड़ितों को इंसाफ मिला।
- iv. गुजरात के एक मामले में पर्चियाँ बाँटने के बाद भी F.I.R. तो दर्ज हुई मगर जाँच अधिकारी कुछ अधिक ही होशियारी दिखाते हुये उसके द्वारा अपने सफाई देते हुये अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिखा गया बल्कि चोर को नहीं पकड़ा। तो जवाब में जाँच अधिकारी के बेहतरीन कार्टून के साथ पर्चियाँ बाँटी गई और मामला उठाया गया जिसके 15 दिन के बाद ही चोर भी पकड़ा गया और चुराया गया सामान (मंगलसूत्र, सोने का सिक्का, पैन कार्ड, ATM कार्ड) भी जब्त हुआ।

ठीक इसी कड़ी में आपके रिश्तेतखोर क्लाइंट सुखदेव सिंह के अपराधी भाई अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की का मामला संगठन के पास आया जहाँ डेढ़ माह तक शिकायत दिये जाने के बाद भी जब कोई कार्यवाही होती नहीं दिखी तो संगठन की पहल पर अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की चिन्हित हुआ जिसके साथ जब बातचीत की गई

इस पत्र की वैधता जानने हेतु संगठन की वेबसाइट देखें, अगर वहाँ इस पत्र की कॉपी मौजूद नहीं है तो यह पत्र वैध नहीं माना जायेगा।

तो वहाँ धमकियाँ व उसकी गुंडागर्दी नजर आई। आपके रिश्ततखोर क्लाइंट सुखदेव सिंह द्वारा दी गई धमकियों ने यह बता दिया कि, यहाँ आपराधिक मानसिकता आसानी से खत्म नहीं होगी तो संगठन द्वारा भगत सिंह की तर्ज पर बिना जन-हानि पहुँचाने वाला बम पर्चियों के रूप में फेंकना जरूरी हो गया।

अब प्रश्न यह उठता है कि, सच्चा कौन ? और झूठा कौन ?

क्योंकि मामला उठाने के तुरंत बाद ही भारतीय संस्कृति को दागदार करते हुये एक रिश्ततखोर भाई ने अपनी बहन का उपयोग झूठी F.I.R. दर्ज करवाने में कर लिया। आखिर इस पूरे मामले में हमारी तरफ से सभी विभागों में शिकायतें तो भेज दी गई हैं और विनती भी की गई है कि, इस मामले में विशेष जाँच दल (S.I.T.) का गठन करके अपराधियों को पकड़ा जाये मगर अब जो आपकी तरफ से हमें प्रस्ताव मिला है तो हम चाहते हैं कि, बिना किसी कोर्ट-कचहरी में जाये यह मामला सुलझ जाये।

उसके लिये हमारी तरफ से प्रस्ताव है, उस पर गौर करिये। हो सकता है आपको पसंद आये क्योंकि हमारा संगठन तो इस विचार पर चलना पसंद करता है कि, सामाजिक स्तर पर एक-दूसरे के सहयोग के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाये और उसके लिये बहुत जरूरी है पारदर्शिता व आपसी सामंजस्य। इसी को ध्यान में रखते हुये हम कुछ प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं:-

- i. सच्चाई सामने लाने के लिये दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट हो जिसके लिये हमारी तरफ से पहल हो चुकी है और पत्रों के द्वारा हमने सभी विभागों को सूचित कर दिया है। अगर आप भी अपने क्लाइंट व उसके भाई की निदोषिता को साबित करने के लिये लाईव वीडियो के साथ नार्को टेस्ट को प्राथमिकता देंगे तो सच्चाई सामने आ जायेगी।
- ii. हमने इस मामले की जाँच के लिये विशेष जाँच दल (S.I.T.) गठित की जाये कि विनती, अपने पत्रों द्वारा सभी संबंधित विभागों में भेज दी है अगर आपके क्लाइंट व उसके भाई द्वारा भी यह प्रस्ताव संबंधित विभागों में चला जाये तो सरकार द्वारा विशेष जाँच दल (S.I.T.) जल्द ही गठित कर लिया जायेगा जिससे सच्चाई जल्द ही सामने आ जायेगी।
- iii. मामले के फैसले के लिये आपकी तरफ से तीन जुरी के सदस्य व संगठन की तरफ से तीन जुरी के सदस्य चुने जायें जिनकी जिम्मेदारी हो
 - a. आपके क्लाइंट व उसके भाई की नौकरी लगने से पहले की आर्थिक स्थिति व चल-अचल संपत्ति की स्थिति के साथ आज तक के उनके सभी रिश्तेदारों के बैंक खातों की जानकारी संगठन के योग्य टीम के समक्ष रखी जाये जो पूर्ण पारदर्शिता के साथ वीडियो कैमरे के सामने दी जाये (तार्किक सवाल और जवाब दोनों तरफ वीडियो कैमरे के समक्ष किये जायें)।

- b. इसी प्रकार हमारी टीम के सक्रिय सदस्य व संबंधित मामले में लिप्त पीड़ित के पारिवारिक रिश्तेदारों व उनके खुद के बैंक खातों की जानकारी आपकी योग्य टीम के समक्ष पूर्ण पारदर्शिता के साथ वीडियो कैमरे के सामने दी जायेगी (तार्किक सवाल और जवाब दोनों तरफ वीडियो कैमरे के समक्ष किये जायें)
 - c. दोनों ही टीमों उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करेंगी जिससे यह टीमों पूरा लेखा-जोखा विश्लेषित करते हुये उस कमाई को चिन्हित करेंगी जो आय से अधिक संपत्ति के रूप में नजर आयेगी।
 - d. दोनों ही टीमों अपने-अपने लेखे-जोखे का विश्लेषण जुरी के दोनों तरफ के सदस्यों के सामने वीडियो कैमरे की उपस्थिति में रखेंगे जिसके बाद आखिरी फैसला चुनी गई जुरी के सदस्य करेंगे (जुरी का यह फैसला लाईव वीडियो के जरिये किया जायेगा)
- iv. चौथा व आखिरी प्रस्ताव है कि, आपके क्लार्ट अपने पूरे परिवार का फौरेंसिक ऑडिट करवायें और उसी प्रकार हमारे संगठन के सदस्य व पीड़ित भी अपना फौरेंसिक ऑडिट करायें।

उपर्युक्त 4 प्रस्ताव हमें सामाजिक स्तर पर इंसाफ दिलाने के लिये पर्याप्त है अगर हम दोषी हुये तो जो सजा आप तय करेंगे हम भुगतने के लिये तैयार रहेंगे, चाहे वह फाँसी हो, मौहल्ले में नंगा करके घुमाना हो या आर्थिक रूप से दंडित करना हो।

हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके द्वारा दी जाने वाली इन सजाओं को हम पूरी ईमानदारी से निभायें।

इसी प्रकार अगर आपका क्लार्ट और उसका भाई दोषी हुआ तो हमारी नजरों में उनकी सजा केवल उनका स्टैम्प पेपर पर लिखा वह माफीनामा ही होगा जिसमें वे अपने गुनाहों की माफी माँगते हुये आगे से ऐसा कोई भी अपराध या भ्रष्टाचार नहीं करेंगे लिखा होगा।

आशा है, भारत के उज्जवल भविष्य व भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिये आप इन प्रस्तावों पर अवश्य गौर करेंगे और हमें जवाब अवश्य देंगे। हम आपके लीगल नोटिस को सार्वजनिक करते हुये हमारे इस प्रस्ताव को भी सार्वजनिक कर रहे हैं। आपको, पाठकों द्वारा SMS व फोन भी आयेंगे जिससे आप उत्साहित होकर हमारे इस प्रस्ताव पर ध्यान दे सकें।

धन्यवाद!

सोनिका क्रांतिवीर

सोनिका क्रांतिवीर

मोब. 99209-13897

भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान

www.bvbja.com



,CGST @9% 3 ,SGST @9%: 3.00

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RLAD SANTACRUZ WEST <400054>

RLAD A RM742537355IN

Counter No:1,OP-Code:RRK

To:SRI B P SINGH GIL,LOWAYERS COMPLEX

LUDHIANA H O, PIN:141001

From:BRASTACHAR VIRUDHA JAGRUTI , AND E

Wt:158grams,

Amt:60.00 ,05/08/2017 ,10:12

<<Track on www.indiapost.gov.in>>



इस पत्र की वैधता जानने हेतु संगठन की वेबसाईट देखें, अगर वहाँ इस पत्र की कॉपी मौजूद नहीं है तो यह पत्र वैध नहीं माना जायेगा।

http://www.79mumbai.bvbja.com

Page 4 - 4